## GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

## NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2021

In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), and section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

÷.,

**2. Insertion of new rule 29-B.-** After the existing rule 29-A and before the existing rule 30 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the following new rule shall be inserted, namely:-

"29-B. Discount and Remuneration on e-stamps certificate.- (1) The Central Record Keeping Agency authorised by the State Government for the Computerisation of Stamp Duty Administration System in the State hereinafter referred to as the Agency shall be allowed to deduct an amount,-

- (i) not exceeding 0.65 percent of the amount collected through sale of e-stamps as may be determined by the State Government, from time to time; and
- (ii) equal to that allowed to stamp vendors under rule 29 and 29-A, in respect of estamps sold through Authorised Collection Centres.

(2) The Agency shall deduct the amount allowed under sub-rule (1) from the amount collected by it through sale of e-stamps and pay the amount allowed under clause (ii) of sub-rule (1) to the Authorised Collection Centers appointed by it in proportion to the amount collected by them through sale of e-stamps.

(3) The Agency shall produce to the Inspector General of Stamps a quarterly statement of the amount deducted and paid under sub-rule (2).".

[No.4(2)FD/Tax/2021-279] By order of the Governor,

(Tina Dabi)

Joint Secretary to the Government

## राजस्थान सरकार वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, फरवरी 24, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. नये नियम 29-ख का अंत:स्थापन.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के विद्यमान नियम 29-क के पश्चात् और विद्यमान नियम 30 से पूर्व, निम्नलिखित नया नियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"29-ख. ई-स्टाम्प प्रमाणपत्रों पर डिस्काउण्ट और पारिश्रमिक.- (1) राज्य में स्टाम्प शुल्क प्रशासन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, जिसे इसमें इसके पश्चात् एजेंसी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, को-

- (i) ई-स्टाम्पों के विक्रय के माध्यम से संगृहीत रक्तम के 0.65 प्रतिशत से अनधिक की किसी रकम की, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये, कटौती अनुज्ञात की जायेगी; और
- (ii) प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से विक्रीत ई-स्टाम्पों के संबंध में, नियम 29 और 29-क के अधीन स्टाम्प विक्रेताओं को अनुज्ञात रकम के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जायेगी।

(2) एजेंसी, ई-स्टाम्पों के विक्रय के माध्यम से उसके द्वारा संगृहीत रकम में से उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञात रकम की कटौती करेगी और उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों को ई-स्टाम्पों के विक्रय के माध्यम से उनके द्वारा संगृहीत रकम के अनुपात में उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के अधीन अनुज्ञात रकम का संदाय करेगी।

(3) एजेंसी, उप-नियम (2) के अधीन कटौती की गयी और संदत्त रकम का त्रैमासिक विवर्ण महानिरीक्षक, स्टाम्प को प्रस्तुत करेगी।"।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-279] राज्यपाल के आदेश से,

Ŧ

(टीना डोबी) संयुक्त शासन सचिव